मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

: : आदेश : :

भोपाल दिनांक 9/07/18

क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 :: तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में वर्तमान में सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विभागवार विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रचलित योजनाओ को अतिक्रमित करते हुए, मध्यप्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर "**मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना**" सत्र 2018-19 से लागू करने के हेतु निम्नानुसार आदेश निर्गत किया जाता है:-

2. **पात्रता की शर्त:-**

मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो ।

3. **योजना स्नातक/पोलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-**

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1लाख 50 हजार तक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई:-** जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वंय के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध

करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप मे निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 **विधि की पढाई:-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयो (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्वालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों, पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एंव आईटीआई(ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मांनते हुये) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- भारत सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय (कंडिका 3.1 एवं 3.2 में पात्र महाविद्यालयों को छोडकर) योजना में शामिल नहीं होंगे।

3.6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामडिकल साइंस के डिप्लोमा/डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्क्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.7 योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें:-

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जवकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के आधार लिंक खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि ही प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेगें, ऐसा कर सकेगें।

4.5 इस योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व में अध्ययनरत है, उन्हे वर्ष 2018-19 से उसी अनुसार शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति/छूट की पात्रता होगी, जैसे 2018-19 मे प्रवेशित (प्रथम वर्ष) के पात्र विद्यार्थियो को होगी।

5. **योजना का क्रियान्वयन:-**

5.1 योजना शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगी।

5.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.3 तीनों विभागों को पूर्व से जारी विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना इस योजना में समाविष्ट मानी जाकर योजना अंतर्गत पूर्व से सतत् लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी।

5.4 **योजना में आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:-**

5.4.1 विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट/प्रतिपूर्ति हेतु www.scholarshipportal.mp.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी (User ID) एवं पासवर्ड (Password) प्राप्त करना होगा।

5.4.2 विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करेगा।

5.4.3 विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर एवं माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा।

5.4.4 आवेदन करते समय विद्यार्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (जैसे JEE Mains एवं NEET इत्यादि), शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि, अपलोड करना होगा।

5.4.5 अगर ऑनलाईन आवेदन भरते समय विद्यार्थी ने पंजीयन संबंधी आवेदन त्रृटि पूर्ण भरा है तो उसे पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकता है, परन्तु यह सुविधा एक बार ही प्राप्त हो सकती है।

5.4.6 विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट एवं प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन, प्रिन्ट कर मय दस्तावेजों के सहित प्रवेशित संस्था में जमा करना होगा।

5.4.7 संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरान्त, सत्यापन स्लिप ई-पोर्टल पर अपलोड करेगा।

5.4.8 मध्यप्रदेश में स्थापित शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रकरणों की स्वीकृति संबंधित स्वीकृतकर्ता शासकीय शैक्षणिक संस्थान करेगा।

5.4.9 मध्यप्रदेश से बाहर के शासकीय/अशासकीय संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रकरणों में स्वीकृति संबंधित संचालनालय यथा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा द्वारा किया जावेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन एवं स्वीकृति उपरांत संस्था देय शुल्क की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रासंफर के माध्यम से की जायेगी।

5.6 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा एनआईसी पोर्टल एवं बैंक एकाउंट के माध्यम से किया जायेगा।

5.7 **"मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना"** हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पोर्टल को परिवर्तित योजना हेतु "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" की तर्ज पर विकसित किया जावेगा।

5.8 पोर्टल पर तीनों विभागों (तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा) को लॉगिन करने की सुविधा विकसित की जावेगी ताकि तीनों विभाग, उनसे संबंधित संस्थाओं के छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही सुगमता से कर सकें।

5.9 कंडिका 5.7 एवं 5.8 की सुविधा पूर्ण रूप से विकसित होने तक तीनों विभाग वर्तमान में संचालित प्रक्रिया अनुसार भुगतान कर सकेगे।

5.10 योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/7/18

(डॉ.एम.आर.धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

भोपाल, दिनांक 09/07/2018

पृ.क्रमांक एफ 14-2/2008/42(2)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन उच्च् शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
6. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
8. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
12. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
13. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/7/18

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- !!.!! / 163 / बजट / 13

प्रति,

भोपाल, दिनांक- 30/5/13

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः-गॉव की बेटी, प्रतिभा किरण, निर्धन वर्ग के लिए विकमादित्य निःशुल्क शिक्षा तथा छात्राओं को आवागमन सुविधा योजना के संचालन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक- 1949 / आर / 1133 / चार / ब-1 / 09 दिनांक 5.11.2012 के परिप्रेक्ष्य में, प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन उपरांत गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, निर्धन वर्ग के लिए विकमादित्य निःशुल्क शिक्षा तथा छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से ग्लोबल (Global Budget) में शामिल किया गया है । अर्थात इन योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013-14 से कोष एवं लेखा के माध्यम से जारी किये जाने वाले आवंटन की प्रकिया में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीयकृत बजट आहरण व्यवस्था लागू की गई है ।

प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय / आहरण एवं संवितरण अधिकारी योजना के प्रचलित नियमों, दिशा निर्देशों के पालनार्थ एवं समय-समय पर जारी शासन आदेशों के पालनार्थ सीधे संबंधित कोषालय से नियमानुसार बजट राशि का आहरण कर, हितग्राहियों को भुगतान कर सकते है ।

1. **गांव की बेटी योजना-**

(1) उक्त योजना के अंतर्गत निम्नानुसार बजट शीर्ष में राशि प्रावधानित है:-

क्र0	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान ₹
1.	44-2202-03-103-6916-0101-41-002	2140.00 लाख
2	41-2202-03-102-6916-0102-41-002	160.00 लाख
3.	64-2202-03-103-6916-0103-41-002	200.00 लाख

2-9-13

(2) मांग संख्या–44–में प्रावधानित बजट से सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है। मांग संख्या–41 में प्रावधानित बजट से, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है तथा मांग संख्या–64– में प्रावधानित बजट से अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है।

उक्त योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि त्रैमासिक बजट व्यवस्था से मुक्त है। अतः प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए त्रैमासिक आहरण व्यवस्था का बंधन नहीं है।

(3) उक्त योजना के अंतर्गत छात्राओं से आवेदन–पत्र दिनांक 30.9.2013 तक प्राप्त किये जावें एवं दिनांक 31.10.2013 तक छात्राओं को योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय करें।

2. **प्रतिभा किरण योजना–**

(1) उक्त योजना के अंतर्गत निम्नानुसार बजट शीर्ष में राशि प्रावधानित है:–

क्र0	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान
1.	44–2202–03–103–5476–0101–41–002	170.00 लाख
2	41–2202–03–103–5476–0102–41–002	15.00 लाख
3	64–2202–03–103–5476–0103–41–002	15.00 लाख

(2) मांग संख्या–44–में प्रावधानित बजट से सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है। मांग संख्या–41 में प्रावधानित बजट से, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है तथा मांग संख्या–64– में प्रावधानित बजट से अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है ।

(3) उक्त योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि त्रैमासिक बजट व्यवस्था से मुक्त है । अतः आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए त्रैमासिक आहरण व्यवस्था का बंधन नहीं है ।

(4) उक्त योजना के अंतर्गत छात्राओं से आवेदन–पत्र दिनांक 30.9.2013 तक प्राप्त किये जावें एवं दिनांक 31.10.2013 तक छात्राओं को योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय करें ।

3. निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना :–

(1) उक्त योजना के अंतर्गत निम्नानुसार बजट शीर्ष में राशि प्रावधानित है:–

क्र0	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान ₹
1.	44–2202–03–103–5674–0101–44–001	75.00 लाख

(2) उक्त प्रावधानित राशि त्रैमासिक बजट व्यवस्था अंतर्गत है । अतः प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय / आहरण एवं संवितरण अधिकारी की सुविधा अनुसार निम्नानुसार राशि को कोषालय सर्वर पर अपलोड कराया गया है–

(राशि लाख में)

क्र0	बजट शीर्ष	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	कुल योग
1.	44–2202–03–103–5674–0101–44–001	15.00	30.00	30.00	75.00

योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राशि का आहरण उपर्युक्तानुसार संबंधित कोषालय से किया जा सकता है ।

इस योजना के अंतर्गत प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय को सुझाव दिया जाता है कि वे औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर, तत्काल उसी त्रैमास में राशि का आहरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित करें, अगले त्रैमास के लिए प्रकरण लंबित न रखे ।

द्वितीय त्रैमास (1.7.2013 से 30.9.2013), तृतीय त्रैमास (1.10.2013 से 31.12.2013) एवं चतुर्थ त्रैमास (1.1.2014 से 31.3.2014) में प्रावधानित राशि को तदनुसार अवधि में आहरण किया जा सकता है ।

4— **छात्राओं को आवागमन सुविधा योजना—**

(1) उक्त योजना के अंतर्गत निम्नानुसार बजट शीर्ष में राशि प्रावधानित है:—

क्र0	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान
1.	44—2202—03—107—7173—0101—44—001	450.00 लाख
2	41—2202—03—103—7173—0102—44—001	100.00 लाख
3	64—2202—03—103—7173—0103—44—001	100.00 लाख

71 - 73

(2) उक्त प्रावधानित राशि त्रैमासिक बजट व्यवस्था अंतर्गत है । अतः प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी की सुविधा अनुसार निम्नानुसार राशि को कोषालय सर्वर पर अपलोड कराया गया है—

(राशि लाख में)

क्र0	बजट शीर्ष	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	कुल योग
1.	44—2202—03—107—7173—0101—44—001	200.00	250.00	450.00
2	41—2202—03—103—7173—0102—44—001	50.00	50.00	100.00
3	64—2202—03—103—7173—0103—44—001	50.00	50.00	100.00

(3) मांग संख्या–44–में प्रावधानित बजट से सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है। मांग संख्या–41 में प्रावधानित बजट से, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए राशि का आहरण
किया जा सकता है तथा मांग संख्या–64– में प्रावधानित बजट से अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए राशि का आहरण किया जा सकता है।

(4) उक्त योजना के अंतर्गत शासन द्वारा प्रचलित नियमों के अंतर्गत हितग्राही छात्राओं को भुगतान की जाने वाली राशि का आहरण संबंधित त्रैमास में करें किसी भी परिस्थिति में अगले त्रैमास के लिए लंबित न रखे ।

तृतीय त्रैमास (1.10.2013 से 31.12.2013) एवं चतुर्थ त्रैमास (1.1.2014 से 31.3.2014) में प्रावधानित राशि को तद्नुसार अवधि में आहरण किया जा सकता है ।

सामान्य निर्देशः–

1. गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, सामन्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विक्रमादित्य योजना एवं छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजना के अंतर्गत राशि आहरण करते समय, पात्र हितग्राहियों के नाम एवं वर्ग, ऑनलाइन साफ्टवेयर में दर्ज करें।

2. म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्र0 एफ–19–1/12/38–2 दिनांक 17.9.12 से प्रतिभा किरण योजना, एवं आदेश क्रमांक– एफ–19–1/12/38–2 दिनांक 6.10.2012 द्वारा गांव की बेटी योजना समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं समस्त अशासकीय (निजी) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में लागू होगी ।
उक्त योजना के शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी । तद्नुसार प्रकिया का पालन सुनिश्चत करें ।

3. उक्त योजनाओं के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2013–14 में पात्र हितग्राहियों के लिए ही राशि (Global Budget) अंतर्गत आहरित करें। पूर्व वित्तीय वर्ष के लंबित एवं अन्य विसंगतिपूर्ण प्रकरणों में संचालनालय से अनुमति प्राप्त कर ही नियमानुसार राशि का भुगतान करें ।

4. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/ उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे ।

5. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय / भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी ।

(डॉ0 व्ही.एस. निरंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0–11,12 / 163 / बजट / 13 भोपाल, दिनांक– 30/5/13

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
4. अतिरिक्त संचालक (योजना–छात्रवृत्ति) उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
6. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल ।
7. समस्त कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

MMJKY 2021-22

S No.	Name	F name	Cast	Rs	
1	AAKASH MEWADA	MAKHANMEWADA	OBC	11672	1030-BCA-B. C. A.
2	ABHISHEK JADAM	BALRAMSINGHJADAM	GENERAL	2672	1032-Commerce-B. Com
3	ABHISHEK KAITHAL	DINESHKUMARKAITHAL	SC	2672	1032-Commerce-B. Com
4	ABHISHEK MISHRA	A K MISHRA	OBC	2672	1032-Commerce-B. Com
5	AJAY KUSHWAH	RAMBABUKUSHWAH	OBC	2672	1028-Arts-B. A.
6	AKASH KAUSHIK	ASHOKKAUSHIK	OBC	2672	1032-Commerce-B. Com
7	AKASH TYAGI	RAKESHTYAGI	GENERAL	11214	1029-BBA-B. B. A.
8	AMAN RAJPUT	CHEGANLAL	GENERAL	2672	1032-Commerce-B. Com
9	ANEESH TRIPATHI	SANJAY KUMAR TRIPATHI	GENERAL	1172	1032-Commerce-B. Com
10	AVAHNARESH CHADAR	RAJARAM	SC	2588	1028-Arts-B. A.
11	DEEPAK YADAV	ROOPSINGHYADAV	OBC	2672	1032-Commerce-B. Com
12	DEVENDRA AHIRWAR	RAMDEEN	SC	10270	1198-Commerce with Computer
13	DHARMENDRA	PREMNARAYANCHOURASIYA	GENERAL	2672	1032-Commerce-B. Com
14	KAMLESH PRAJAPATI	CHENRAM	OBC	2672	1028-Arts-B. A.
15	KANISHK SAXENA	LATESANJEEVSAXENA	GENERAL	2672	1032-Commerce-B. Com
16	KARAN BAMORIYA	KAMALSINGHBAMORIYA	SC	10588	1198-Commerce with Computer
17	KULDEEP AHIRWAR	ARVINDRA	SC	11275	1030-BCA-B. C. A.
18	PRAKASH MISHRA	SHRIKANT	GENERAL	3790	1018-Political Science-M. A.
19	RAJ CHOURASIYA	PREMNARAYAN CHOURASIYA	OBC	11672	1030-BCA-B. C. A.
20	RAJAN SINGH GURJAR	MOHANLALGURJAR	OBC	2672	1032-Commerce-B. Com
21	RAJENDRA MANDRE	MANSHARAMMANDRE	SC	12588	1029-BBA-B. B. A.
22	RISHABH THAKUR	UMRAOSINGH	GENERAL	10672	1198-Commerce with Computer
23	SHIVAM JHARBADE	REKESH JHARBADE	SC	2588	1032-Commerce-B. Com
24	SONU KHAN	SHAFIQKHAN	GENERAL	2672	1028-Arts-B. A.
25	SUBHAM SOLANKI	KRISHNAPAL SINGH	GENERAL	10354	1198-Commerce with Computer
26	SUDARSHAN SINGH RAGHUWANSHI	BABULAL	GENERAL	10672	1198-Commerce with Computer Application-B. Com

153179

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College Bhopal